

11.02.2023

प्रकरण समुचित आदेश हेतु नियत है।

चूंकि उभयपक्षों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं। आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपराध को शमन करने की अनुमति देते हुए अपराध का शमन किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त/अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 34 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन है इसलिये नष्ट किया जावे/जप्तशुदा संपत्ति आहत/प्रार्थी को वापस किया जावे/**कुछ नहीं है**/पेश नहीं है/प्रार्थी को सुपुर्दनामें पर दिया गया है।

अभियुक्त/अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके यदि कोई हो तो उसे प्रभावमुक्त किया जाता है।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण निश्चित समयावधि में व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

सही/—

(अमित मात्रे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)